प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.09.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 11/12.09.2025 की रात्रि को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त असद पुत्र सादिक निवासी छज्जू वाली गली बडी मस्जिद के पास बाबरपुर शाहदरा दिल्ली मूल निवासी चौधरी सराय चौराहा एक रात मस्जिद के पास थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल उम्र करीब 25 वर्ष को भौपुरा तिराहे पर शौचालय के पास थाना शालीमार गार्डन से चोरी की 01 स्कूटी व 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त असद पुत्र सादिक उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त असद पुत्र सादिक उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद स्कूटी को एक दिन पहले ही शाहदरा दिल्ली से चोरी किया था तथा बरामद अवैध चाकू को अभियुक्त उपरोक्त लोगों को डराने के लिए रखता है। जिसे चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

असद पुत्र सादिक निवासी छज्जू वाली गली बडी मस्जिद के पास बाबरपुर शाहदरा दिल्ली मूल निवासी चौधरी सराय चौराहा एक रात मस्जिद के पास थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 स्कूटी व 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त असद पुत्र सादिक उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मी को जान से मारने की नीयत से पत्थर मारकर गम्भीर रुप से घायल करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

दिनांक 11.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी टीएसआई विक्की कुमार ट्रैफिक पुलिस गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि गाडी संख्या UP16GT 4077 सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मी को जान से मारने की नीयत से पत्थर मारकर गम्भीर रुप घायल कर देने के सम्बन्ध में तत्काल सुसंगत धारा 109,121(1),132 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 11/12.09.2025 की रात्रि को थाना

इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त गौरव चौधरी पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को रेल विहार कट के पास से घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव चौधरी पुत्र हरेन्द्र सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव चौधरी पुत्र हरेन्द्र सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त ओला टैक्सी चलाता है, कल दिनांक 11.09.2025 की शाम को अभियुक्त ने नोएडा की तरफ जाने वाले रेड लाईट पार कर ली थी रोंग साईड जाते समय वहां पर डियूटी कर रहे ट्रेफिक पुलिस कर्मी ने यातायात के नियमों का हवाला देते कार चालक को नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। इसी बात को लेकर कार चालक अभियुक्त बहस करने लगा और आक्रोशित होकर चला गया तथा कुछ देर बाद कार चालक ने वापस आकर गुस्से में ट्रेफिक पुलिस कर्मी के सिर पर पत्थर मार दिया। वहां मौजूद पब्लिक ने शोर मचाया तो कार चालक गाडी छोड़कर नीचे की तरफ भाग गया और वही आसपास छिप गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौरव चौधरी पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव चौधरी पुत्र हरेन्द्र सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर जान से मारने की नियत से गम्भीर रुप से घायल करने के सम्बन्ध 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा कार से अवैध आतिशबाजी पटाखे ले जाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखे के 60 डिब्बे व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.09.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर कार से अवैध आतिशबाजी पटाखे ले जाने वाले 02 अभियुक्त 1. नासिर पुत्र तरीकत निवासी ग्राम फरुखनगर असालतपुर थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष व 2. सुहेल पुत्र कलूआ निवासी ग्राम फरुखनगर असालतपुर थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को मोहननगर चौराहा के पास से अवैध आतिशबाजी पटाखे के 60 डिब्बे व घटना में प्रयुक्त 01 कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त नासिर पुत्र तरीकत व सुहेल पुत्र कलूआ उपरोक्त के विरुद्ध धारा 9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त नासिर पुत्र तरीकत व सुहेल पुत्र कलूआ उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्तों द्वारा बरामद अवैध आतिशबाजी पटाखों को आगामी त्यौहार के दृष्टिगत आर्थिक लाभ कमाने के लिये बेचन हेतु ले जा जा रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. नासिर पुत्र तरीकत निवासी ग्राम फरुखनगर असालतपुर थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
2. सुहेल पुत्र कलूआ निवासी ग्राम फरुखनगर असालतपुर थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- अवैध आतिशबाजी पटाखे के 60 डिब्बे व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त नासिर पुत्र तरीकत व सुहेल पुत्र कलूआ उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मोबाइल चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुये 02 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 13.05.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी नदीम पुत्र इसरार निवासी शिव मंदिर के पास गली न0 2 प्रहलादगढी सैक्टर 10 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से दो मोबाइल फोन चोरी कर लिये गये है, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त बबलू उर्फ डपला पुत्र स्व0 संजय कुमार निवासी दादा के मकान में किरायेदार ग्राम प्रहलादगढी थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता गांव बन्नी थाना धनसोई जनपद बक्सर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को सेक्टर 14 नगर निगम पार्क के पास से चोरी किये हुये 02 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बबलू उर्फ डपला उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त बबलू उर्फ डपला उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने 3-4 महीने पहले ग्राम प्रहलादगढी के एक घर से 02 फोन और कुछ पैसे भी चोरी किये थे तथा अन्य 01 मोबाइल फोन अभियुक्त उपरोक्त ने ग्राम प्रहलादगढी के दूसरे घर से चोरी किया था। जिसमें से अभियुक्त उपरोक्त ने 01 मोबाइल फोन राह चलते हुये अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया था। अभियुक्त उपरोक्त बरामद दोनों मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बबलू उर्फ डपला पुत्र स्व0 संजय कुमार निवासी दादा के मकान में किरायेदार ग्राम प्रहलादगढी थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता गांव बन्नी थाना धनसोई जनपद बक्सर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी किये हुये 02 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त बबलू उर्फ डपला उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 11.09.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त विशाल पुत्र राकेश निवासी गली न0-2 सरस्वती बिहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को अराधना कट के पास थाना क्षेत्र साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त विशाल पुत्र राकेश उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियक्त विशाल पुत्र राकेश उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त आर्थिक लाभ कमाने के लिए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आम लोगों से अवैध हथियार के बल पर लूट व स्नेचिंग करने की घटना कारित करता है। पूर्व में अभियुक्त उपरोक्त ने दिनांक 08.05.2025 को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना साहिबाबाद चौकी क्षेत्र पाईप मार्केट में बैटरी व इन्वर्टर की दुकान में लूट की घटना कारित थी। जिसके क्रम में अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 12.05.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विशाल पुत्र राकेश निवासी गली न0-2 सरस्वती बिहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियक्त विशाल पुत्र राकेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर लूट, आर्म्स एक्ट व गैगस्टर एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पर दाखिल कुल 524 लीटर अवैध देशी व विदेशी शराब कीमत लगभग 02 लाख रुपये के विनिष्टीकरण के सम्बंध में।

शराब की कुल मात्रा – 524 लीटर अवैध देशी व विदेशी शराब

शराब की कुल अनुमानित कीमत – 02 लाख रुपये

विनिष्टीकरण का स्थान/दिनांक व समय – थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.09.2025

विनिष्टीकरण हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य –

अध्यक्ष – सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद

सदस्य – अभियोजन अधिकारी गाजियाबाद

सदस्य – प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

सदस्य – मालखाना मोहर्रिर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

विवरण – गठित कमेटी द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर दाखिल कुल 524 लीटर अवैध देशी व विदेशी शराब कीमत लगभग 02 लाख रुपये को श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद आदेश दिनांक 09.09.2025 के अनुपालन में नियमानुसार उपरोक्त वर्णित माल को जेसीबी से थाना प्रांगण में खाली पड़ी जमीन पर गड्ढा कराकर विनिष्टीकरण कराया गया व पृथक-पृथक रुप से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करायी गयी।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 12.09.2025 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1.कलवा पुत्र इस्माईल निवासी रासना देवी मन्दिर के पास थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष 2. मोनिश पुत्र कलवा निवासी उपरोक्त उम्र करीब 19 वर्ष थाना निवाडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमनें अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट, चोरी, गौवध जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम और हमारे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कलवा पुत्र इस्माईल निवासी रासना देवी मन्दिर के पास थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष
2. मोनिश पुत्र कलवा निवासी रासना देवी मन्दिर के पास थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त कलवा के विरुद्ध थाना निवाडी पर गैंगस्टर एक्ट, का 01 अभियोग तथा गौवध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं (कुल अभियोग- 02)

अभियुक्त मोनिश के विरुद्ध थाना निवाडी पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग व लूट / चोरी 02 अभियोग पंजीकृत है। तथा थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग -04)
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 74,000/- रू0 की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 12.09.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक छोटू पुत्र राजे निवासी त्योडी 07 विस्बा, थाना भोजपुर, गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रु 74,000/- में से कुल रु 74,000/- आवेदक को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक छोटू उपरोक्त के साथ 74,000 रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 12.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 74,000/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना भोजपुर।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 04 किलो 880 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 11.09.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त सिकंदर कुमार पुत्र महादेव यादव निवासी लुब्धीया थाना गिद्धौर जिला चतरा झारखण्ड हाल निवासी मोहल्ला कांटा बाजार टोली थाना कांटाटोली जिला रांची झारखंड उम्र करीब 25 वर्ष को इलेक्ट्रिक बस स्टेशन के सामने सर्विस रोड ताज हाईवे थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल वजन

04 किलो 880 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी छिपे झारखण्ड से गांजा लेकर आता हूं तथा मौका पाकर राह चलते व्यक्तियों को गांजे की पुडिया बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सिकंदर कुमार पुत्र महादेव यादव निवासी लुब्धीया थाना गिद्धौर जिला चतरा झारखण्ड हाल निवासी मोहल्ला कांटा बाजार टोली थाना कांटाटोली जिला रांची झारखंड उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपाराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से कुल वजन 04 किलो 880 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोगों में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.09.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि विपक्षी द्वारा वादी की भांजी उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने व पीडिता को ब्लैकमैल कर घर से सोना जेवरात आदि मंगा लिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 318(4) / 316(2) / 137(2) /64 /351(2) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक दिनांक 09.09.2025 को अन्य वादी द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के फोटो व वीडियो का इस्तेमाल कर वादी की पुत्री को ब्लैकमेल करके घर से सोना जेवरात आदि मंगा लेने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 318(4)/316(2)/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त दोनो घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों घटनाओं को कारित करने वाले 03 अभियुक्तो 1. अंश शर्मा पुत्र मनीष कुमार शर्मा निवासी बी-607, राजनगर रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेन्शन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2. नमन पुत्र मनोज शर्मा निवासी गली नं0-07 ब्रहमपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 3. अक्षित कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी दुर्गापुरी गली नं0-06 तिबडा रोड मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को तिबडा रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 जोडी कान के कुंडल पीली धातु, 01 सफेद धातु का छल्ला व

उक्त चोरी करवाये गये सामान को बेचकर प्राप्त किये गये 01 लाख 09 हजार व 500 रुपये नगद बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान दोनों घटनाओ को कारित करने का इकबाल किया गया तथा बरामद रुपयों व सामान के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि यह रुपये हमने दोनो लडकियों से प्राप्त ज्वैलरी को बेचकर प्राप्त किये गये हैं जिनमें से कुछ रुपये खर्च हो गये हैं। हम सबने मिलकर योजना के तहत हुये उक्त दोनों लडकियो को ब्लैकमेल किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. अंश शर्मा पुत्र मनीष कुमार शर्मा निवासी बी-607, राजनगर रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेन्शन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2. नमन पुत्र मनोज शर्मा निवासी गली नं0-07 ब्रहमपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
3. अक्षित कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी दुर्गापुरी गली नं0-06 तिबडा रोड मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 जोडी कान के कुंडल पीली धातु, 01 सफेद धातु का छल्ला व उक्त चोरी करवाये गये सामान को बेचकर प्राप्त किये गये 01 लाख 09 हजार व 500 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।